



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234579
CG-DL-E-28032022-234579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1381]
No. 1381]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1423(अ).—जबकि, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3022 (अ) दिनांक: 22 अगस्त, 2019 द्वारा ओडिशा राज्य में झारसुगड़ा जिले के नुआडीह गाँव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (एनएच-200 की पुरानी चैनेज) के 62.100 पर (डिजाइन चैनेज 256.552 किमी पर) किमी. 0.000 से किमी. 68.000 तक के कनकटोरा से झारसुगड़ा सेक्शन के उपयोग हेतु (डिजाइन चैनेज 197.300 किमी. से 263.040 किमी तक) (कि.मी. 257.871 से कि.मी. 258.321 तक मौजूदा बड़ा पुल जिसकी संरचना की लंबाई 0.45 किमी. तथा मौजूदा पुल किमी. 197.440 से 197.589 किमी. तक जिसकी संरचना की लंबाई 0.1485 किमी. की टोलिंग को छोड़कर) प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

और जबकि प्राधिकरण ने उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार ओडिशा राज्य के झारसुगड़ा जिले के लखनपुर तहसील के गोविंदपुर गांव में अब शुल्क प्लाजा को 25.200 किमी. पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार मौजूदा शुल्क प्लाजा के पुनः अवस्थान के लिए एक वर्ष के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 अगस्त 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 3022(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :

- i. तालिका-2, 3 और 4 में शुल्क प्लाजा के अवस्थान के लिए 21.08.2022 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

मौजूदा के स्थान पर	के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा
ओडिशा राज्य में झारसुगड़ा जिले के नुआडीह गांव के निकट किमी. 62.100 (डिजाइन चैनेज किमी. 256.552 पर) पर	ओडिशा राज्य में झारसुगड़ा जिले में लखनपुर तहसील में गोविंदपुर गांव के निकट किमी. 25.200 पर

- ii. तालिका-2 के नीचे के पैरा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, 22.08.2019 से तीन वर्षों की अवधि के भीतर उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसार ओडिशा राज्य में झारसुगड़ा जिले के नुआडीह गांव के पास किमी. 62.100 (किमी. 256.552 पर डिजाइन चैनेज) पर शुल्क प्लाजा को अस्थायी शुल्क प्लाजा के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, बशर्ते कि एनएचआई शुल्क प्लाजा का ओडिशा राज्य के झारसुगड़ा जिले में लखनपुर तहसील में गोविंदपुर गांव के निकट किमी. 25.200 पर अवस्थान करेगा।

[फा. सं. एनएचआई/13013/सीओ/21-22/कनकटोरा से झारसुगड़ा सेक्शन (किमी. 0.000-68.000)/संशोधन]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

S.O. 1423(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3022(E) dated 22 th August 2019 authorised the National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”) to collect, either through its officials or through a contractor for the use of Kanaktora to Jharsuguda section from km 0.000 to km 68.000 (Design Chainage from km 197.300 to km 263.040) (excluding tolling of existing major bridge from km 257.871 to km 258.321 having structure length of 0.45 km and existing bridge from km 197.440 to km 197.589 having structure length of 0.1485 km.) of National Highway number 49 (Old Chainage of NH-200) at km 62.100 (Design Chainage at km 256.552) near Nuadeeh village in Jharsuguda district in Odisha State.

And whereas the Authority has now decided to shift the fee plaza to km 25.200 at Govindpur village in Lakhanpur Tehsil, Jharsuguda district of Odisha in accordance with Rule 8 of the said rules and Competent Authority has accorded approval for extension of one year for re-location of existing fee plaza as per Rule 8 of the said rules.

In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 3022(E) dated 22th August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

i. For the location of fee plaza in Table-2 , 3 and 4, following shall be substituted as under with effect from 21.08.2022 :

In place of existing	Shall be substituted as
At km. 62.100 (Design Chainage at km. 256.552) near Nuadeeh Village in Jharsugada district in Odisha State	At km. 25.200 near Govindpur Village in Lakhanpur Tehsil in Jharsugada district in Odisha State

ii. Para below Table-2 is revised as under:

As per the decision taken by the Competent Authority, the fee plaza At km. 62.100 (Design Chainage at km 256.552) near Nuadeeh Village in Jharsugada district in Odisha state shall be notified as temporary fee plaza, with the condition that NHAI will relocate the fee plaza at At km. 25.200 near Govindpur Village in Lakhanpur Tehsil in Jharsugada district in Odisha state in accordance with rule 8 of the said rules within a period of three years from 22.08.2019.

[F. No. NHAI/13013/CO/21-22/Kanaktora to Jharsugada section (km. 0.000- km. 68.000)/Amendment]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.